

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2055 / 2013 / जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-ए, भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स ओटिस एलीवेटर कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड,  
471/5, राजापार्क, जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री डी. कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 12.03.2018

निर्णय

1. यह अपील, राजस्व द्वारा उपायुक्त अपीलस (प्रथम), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 31/381/अपील्स-1/आरवीएटी/ए/जयपुर/12-13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.04.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वैट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 19.08.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के परिवहनित माल की जांच दिनांक 29.07.2009 को की गई। परिवहनित माल के संबंध में माल प्रभारी द्वारा बैलेज एक्सप्रेस सर्विस की बिल्टी संख्या 220, 221 एवं 222 दिनांक 27.07.2009 तथा कम्पनी का वैट कम डिलीवरी चालान संख्या 701-9003322 दिनांक 27.07.2009 एसटीवीसी संख्या 701-9003321, 701-9003322 एवं 701-9003323 दिनांक 27.07.2009 एवं वैट 47 संख्या 33370333 प्रस्तुत किये गये, जिसमें माल संबंधी समस्त विवरण दर्ज थे। उक्त प्रस्तुत दस्तावेजों को जांच अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम 2003 की धारा 76(2) में विहित प्रावधानों के अनुरूप नहीं माना गया एवं नोटिस जारी करने के पश्चात अधिनियम की धारा 76(6) के तहत इस आधार पर शास्ति आरोपित की गई कि घोषणा पत्र वैट-47 अपूर्ण पाया गया एवं बिल, बिल्टी एवं प्रेषिति के नाम व पते में अन्तर है तथा प्रेषक एवं प्रेषिति के बीच जो माल विक्रय करने का कान्ट्रेक्ट है उस अनुसार यह माल अन्तर्राज्यीय परिवहन न होकर ब्रांच ट्रांसफर माना जाये एवं ब्रांच ट्रांसफर मानने की स्थिति में घोषणा पत्र

लगातार.....2



वैट-47 की अनिवार्यता मानी गई। एवं घोषणा पत्र में कुछ कमियां होने के कारण उसे अस्वीकार किया गया। आदेश में यह भी अवधारित किया गया कि परिवहन के दौरान ब्रांच ट्रांसफर के स्थान पर अन्तर्राज्यीय विक्रय बताया जाने का कृत्य करवंचना का अपराध है। अतः अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रुपये 2,32,594/- एवं कर 1,08,544/- भी वसूल किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.04.2013 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. राजस्व की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुये इसे अपास्त किये जाने का निवेदन किया। उन्होनें कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने परिवहन के दौरान संव्यवहारों को गलत घोषित करने के तथ्य को समझने में त्रुटि की है। यह भी कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जारी बिलों में संव्यवहार की अन्तर्राज्यीय घोषणा गलत की थी, जबकि वह संव्यवहार ब्रांच ट्रांसफर का था।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि परिवहन के दौरान अधिनियम की धारा 76(2) में विहित समस्त दस्तावेज यथा बिल, बिल्टी एवं घोषणा पत्र संलग्न किये हुये थे एवं जांच के समय समस्त दस्तावेज जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी के आदेश में यह निर्णय किया गया है कि प्रकरण में माल के परिवहन के दौरान अधिनियम की धारा 76(2) के तहत विहित दस्तोवज जांच अधिकारी को प्रस्तुत कर देने से धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित नहीं हुआ था। अतः धारा 76(6) में शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अपीलीय अधिकारी ने आदेश में यह टिप्पणी भी की है कि जांच अधिकारी को परिवहन के दौरान माल के विक्रय संव्यवहार की प्रकृति तय करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अपीलीय अधिकारी ने माननीय राजस्थान टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिये गये न्यायिक निर्णय मैसर्स फिलिप हैवी इंजिनियरिंग मुम्बई बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, बीकानेर 25RTJS PAGE 27 का हवाला दिया है, जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि परिवहन के दौरान संव्यवहारों की "प्रकृति" का निर्धारण करने का अधिकारी केवल क्षेत्राधिकार प्राप्त कर निर्धारण अधिकारी है।

इस प्रकरण में रेकार्ड में उपलब्ध बिल, एवं बिल्टी के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा मुम्बई, महाराष्ट्र से आवास विकास लि., जयपुर को एक लिफ्ट स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक पार्टस का अन्तर्राज्यीय विक्रय किया जाना बताया गया था तथा कार्य संविदा की पूर्ति हेतु ठेकेदार के रूप में ओटिस एलीवेटर




लगातार.....3



द्वारा लिफ्टपार्टस के बिल जारी किये थे, उसमें माल का प्रेषिति आवास विकास लि. बताया गया था एवं माल के विक्रय पर पूर्ण कर दर से अन्तर्राज्यीय कर संग्रहित किया था। अपीलीय अधिकारी के उक्त विवादित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है क्योंकि इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि माल का परिवहन पूर्ण घोषणा के साथ एवं वैध बिल, बिल्टी के साथ किया जा रहा था एवं यह संव्यवहार अन्तर्राज्यीय विक्रय के रूप में घोषित किये गये थे ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 76(2) का कोई उल्लंघन कारित नहीं किया गया था।

यह उल्लेखनीय है कि राजस्व की ओर से कर बोर्ड में प्रस्तुत अपीलीय आधार में केवल मात्र यह आधार दिया गया है कि यह संव्यवहार ब्रांच ट्रांसफर का था अतः इसे ब्रांच ट्रांसफर माना जायें। इस बिन्दु पर यह निर्णय किया जाता है कि परिवहन के दौरान उपरोक्त वर्णित TAX TRIBUNAL के निर्णय एवं कर बोर्ड के खण्डपीठ के निर्णय वा.क.अ. कार्य संविदा बनाम ई.सी.ई. इण्डस्ट्रीज (2006) 6 VAT REPORTER PAGE 110 के आलोक में एवं उक्त संव्यवहार अन्तर्राज्यीय घोषित होने से अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकरण में इस बिन्दु पर कोई विवाद नहीं है कि धारा 76(2) में विहित दस्तावेज वक्त परिवहन संलग्न किये हुये थे अतः बिना किसी प्रावधानों के उल्लंघन के शास्ति का आरोपण किया जाना अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( क. एल. जैन )  
सदस्य